



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PATNA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
DOON GLOBAL SCHOOL
TETARI ROAD NADWAN DHANARUA PATNA

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अन्वय में विद्यालय की प्रसवीकृति का प्रमाण पत्र।

प्रस्ताव :-

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 23-11-2023 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा दिनांक : 23-02-2024 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय DOON GLOBAL SCHOOL, TETARI ROAD NADWAN DHANARUA PATNA, NADWAN DHANARUA PATNA की कक्षा 1 से 8 तक संवातन हेतु तीन वर्षों 23-02-2024 से 23-2-2027 अवधि के लिए औपचारिक प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसवीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से तैयार रखेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यकीय समुदाय के बच्चों को प्रदान करेगा। उन्हे मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संवातन हो रहा है, तो उस प्रयत्न का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्घटित बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की पूरी पूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्रगति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्वीकृत लेटर नहीं दिखाने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपालन नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से प्रवेश नहीं करेगा। किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निकालित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रतर्कित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड-परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उन्हे लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रमाणित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे।
 - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

2

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेंगे। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्न है-

- (i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 11533 डिसमिल
- (ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 11533 डिसमिल
- (iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- PLAYGROUND, GARDEN, ADMINISTRATIVE BLOCK, ACADEMIC BLOCK
- (iv) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 39
- (v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 2
- (vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 15 , Girls 15
- (vii) पेयजल की सुविधा :- 10
- (viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 2
- (ix) बाधारहित पहुँच,] :-
- (x) शिक्षण अधिगम सामग्री खेल-फुटबल उपकरण पुस्तकालय :- COMPUTER , BADMINTON FOOTBALL SEE SAW SKITING CAROMBOARD SHOUTPUT , (Y , 900 , NewsPaper MegaZine:- 5)

11. कोई भी अप्रसवीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1986 (1986 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. सेला का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त सेला विवरणी तैयार की जाएगी जो सेला विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रसवीकृति कोड संख्या [230141020231123152410, 2023] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड का उपयोग एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी जो सरकार के स्तर से प्रसवीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

23/02/2024



विभागाध्यक्ष
801-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, PATNA
शिक्षा विभाग, बिहार

NOG LETTER

Hema Sinha
Principal
Doon Global School
Affiliated to C.B.S.E. upto 10+2
Aff. No.-330343
Nadwan, Patna-804453

M/S.
Manager
Doon Global School
Nadwan, Patna-804443